सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 757 राँची, सोमवार, 4 आश्विन, 1938 (श०) / 26 सितम्बर, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

24 सितम्बर, 2016

संख्या:-8/न०वि०/गठन/114/2015-5355-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2012) की धारा 3 की उपधारा (2)(स), धारा-4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा (3) में किये गये प्रावधान के आलोक में साहेबगंज जिलान्तर्गत बरहरवा रेलवे (जंक्शन) के आसपास के 09 राजस्व ग्रामों को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-4817, दिनांक 29 अगस्त, 2016 (गजट अधिसूचना संख्या-653, दिनांक 1 सितम्बर, 2016) के द्वारा बरहरवा नगर पंचायत का गठन किया गया है ।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा 15 की उपधारा (2)(क) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर अवधारित करेगी ।

3. 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012' के नियम 3 का उपनियम (1) (ग) (i) क्रमांक 1 में नगर पंचायतों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का गठन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में प्रथम 12,000 की जनसंख्या पर वार्डों की न्यूनतम संख्या 10 (दस) होगी । इसके पश्चात् प्रत्येक 2,800 की जनसंख्या पर 1(एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के गठन का प्रावधान है ।

4. उपर्युक्त कंडिका से स्वतः स्पष्ट है कि पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का विनिश्चय स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं ।

उक्त प्रावधान के आलोक में बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पार्षदों की संख्या/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण की जाती है :-

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना 2011 के आधार पर कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	वार्डों की संख्या	जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	अनुपात	वार्डों की संख्या	
साहेबगंज	बरहरवा नगर पंचायत	24,133	12,000	10	12,133	2,800	4.33	4	14

5. उपर्युक्त अवधारण के आलोक में 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012' के अध्याय 2, नियम 3 के तहत् वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर बरहरवा नगर पंचायत में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या 14 एवं पार्षदों की संख्या भी 14 निर्धारित किया जाता है ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 757 –50+200 ।